



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179084

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30069 वर्ष 2026

विवेक कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जलज कुमार त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कांस्टेबल है और यह आरोप है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ₹35,000/- की मांग की है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि तत्पश्चात ट्रैप टीम गठित की गई और ₹35,000/- बरामद किए गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत अधिकतम सात वर्ष के दंड का प्रावधान है तथा इसका विचारण संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 11.06.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य पर विवाद नहीं किया।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है, जिससे आवेदक के आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त का संकेत मिले, जो आवेदक को जमानत प्राप्त करने से वंचित करता हो।

6. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक ने जांच में अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।

7. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर भली-भांति मान्यता प्राप्त है। उक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन और अन्य, 2022 (10) एस सी सी 51** में पुनः प्रतिपादित किया है। राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की है, जो आवेदक को जमानत से वंचित किए जाने को उचित ठहराती हो।

8. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, तथ्य अथवा परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है, जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसकी मात्र खुले में उपस्थिति से गवाह भयभीत होंगे अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय को विफल करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण विशेषता अथवा परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गई है, जो आवेदक के न्याय से भागने अथवा न्याय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की प्रक्रिया को विफल करने या अपराधों की पुनरावृत्ति अथवा गवाहों को धमकाने आदि के रूप में अन्य परेशानियाँ उत्पन्न करने का संकेत देती हो।

10. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की है कि व्यापक रूप से जनता अथवा राज्य के हित में अभियुक्त/आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।

11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

12. आवेदक-**विवेक कुमार**, जो थाना एंटी करप्शन बरेली, जनपद बरेली के मुकदमा अपराध संख्या 15 सन् 2026 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो और/या जब भी आवश्यक हो, आवेदक स्वयं को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा।

(iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(v) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(vii) यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की सूचना लिखित रूप में देगा।

13. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

25 अगस्त, 2026

वीएमए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।